US-106
18.12.23

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
सातवां तल, एम॰एस॰ओ॰ बिल्डिंग, आई॰पी॰ एस्टेट, नई दिल्ली—110002

(प्रश्न शाखा)

दिनांक 15-12-23

फा.स. 59(स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2023—2024/110-114

सेवा में,

श्रीमान उप—सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
दिल्ली—110054

विषय— अतारंकित प्रश्न संख्या – 105 दिनांक 18 मार्च, 2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई—मेल दिनांक 08/12/2023 जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते है।

भवदीय

उप—निदेशक (आर्थिक सहायता अनुभाग)
नोडल ऑफिसर (प्रश्न शाखा)

संलग्न—उपरोक्तानुसार

फा.स. 59(स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2023—2024/ दिनांक

1. निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054.
2. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण) दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली—110054
3. निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली—110002।
4. निजी सहायक, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली—110002।

उप—निदेशक (आर्थिक सहायता अनुभाग)
नोडल ऑफिसर (प्रश्न शाखा)

Scanned with OKEN Scanner

समाज कल्याण विभाग
सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या – 105
दिनांक – 18/12/2023
प्रश्नकर्ता – सुश्री भावना गौड़

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	पालम विधान सभा क्षेत्र मे वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का संपूर्ण विवरण दें;	पालम विधान सभा क्षेत्र में नवम्बर माह 2023 में वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है – योजना: कुल लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन: 6538 दिव्यांग पेंशन: 1530
(ख)	दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम के अन्तर्गत 2013 से अब तक कितनी विधवाओं के पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में मिल रही है, पूर्ण ब्यौरा दें;	दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम के अन्तर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्य (महिला/पुरूष) को एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है । अतः उक्त योजना के अन्तर्गत विधवाओ का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।
(ग)	वर्ष 2013 से अब तक 20 हजार रूपये आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली कितनी विधवा महिलायें है, पूर्ण ब्योरा दें;	
(घ)	क्या नयी वृद्धावस्था पेंशन चालू होने की कोई संभावना है;	नयी रिक्तियों का मामला नीतिगत निर्णय है जो कि समय –समय पर मंत्री मंडल द्वारा लिया जाता है ।
(ङ)	यदि हॉ, तो कब से; और	उपरोक्त (घ) के अनुसार ।
(च)	वर्ष 2013 से अब तक पालम विधान सभा के कितनी वृद्धावस्था पेंशन काटी गयी है, पूर्ण विवरण दें?	पालम विधान सभा क्षेत्र में कुल 651 वृद्धावस्था पेंशन मृत्यु होने के उपरान्त रोक दी गयी ।

Scanned with OKEN Scanner